पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 04 वांछित अभियुक्त एवं NBW में 01 वारण्टी गिरफ्तार।

दिनांक- 13.10.2024

दिनांक- 12/13.10.2024 को-

01-थाना कैण्ट में पंजीकृत मु0अ0सं0 112/2024 धारा 289/299 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील राजपूत
02-थाना चिनहट में पंजीकृत मु0अ0सं0 389/24 धारा 140(2)/308(2)/3(8) IPC से सम्बन्धित अभियुक्त संजय यादव
03-थाना जानकीपुरम में पंजीकृत मु0अ0सं0 318/2024 धारा 103(3)/238(B) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01-फाजिल 02- आफाक गिरफ्तार।

एवं

NBW में थाना अलीगंज से 01 वांछित वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

जोन-पूर्वी

थाना पीजीआई-

दिनांक 12.10.24 समय करीब दोपहर 01.00 बजे वादी लवकुश तिवारी निवासी- सालेह नगर शारदा नगर थाना पीजीआई, लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि वादी प्रदूषण विभाग के अधिकारी के यहाँ ड्राइवर है, जो दिनांक 05.10.2024 समय करीब सुबह 10.00 बजे अपनी मोटर साईकिल UP32ER0519 (बजाज पल्सर) को सैनिक नगर तेलीबाग गली नं0 12 में साहब के घर के गेट के सामने खड़ी करके साहब को ऑफिस लेकर गया, जब शाम में वापस आया तो वादी ने देखा की मोटर साईकिल वहा नही थी और वादी ने बहुत ढूंढ़ने की कोशिश की, और मोटर साईकिल वादी के पिता विमलेश तिवारी निवासी उपरोक्त के नाम है, तथ्य अंकित है। **वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 697/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन-दक्षिणी

मीडिया अपडेटः-

सड़क दुर्घटना-थाना नगराम-

दिनांक 12.10.2024 को वादी श्री साबिर अली निवासी-दूल्हापुर हुसैनाबाद, थाना नगराम लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी जिसमें दिनांक 11.10.2024 को समय करीब 07.30 बजे सायं को वादी का लड़का मो0 सलमान उम्र करीब 22 वर्ष समेसी की तरफ से दूल्हापुर अपने उक्त आवास पर वापस जा रहा था कि तभी इस्माइल नगर राइस मील के अन्दर से लापरवाही पूर्वक बिना आगे पीछे देखे ट्रक संख्या-NL01Q3693 निकल रहा था और चालक ने एकदम से ट्रक में ब्रेक लगा दी, जिससे वादी का पुत्र मो0 सलमान उपरोक्त की मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर लगी, और वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। वादी के लड़के को इलाज के लिए सीएचसी नगराम लाया गया, जहां से उसे ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया, तथ्य अंकित हैं।

इस सूचना पर तत्काल थाना नगराम पर मु0अ0सं0 272/2024 धारा 281/406(1)/324(2) बीएनस ट्रक संख्या-NL01Q3693 चालक अज्ञात पंजीकृत कर ट्रक उपरोक्त को हिरासत पुलिस में लेकर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जोन-पूर्वी

थाना पीजीआई-

दिनांक 12.10.2024 को वादिनी शोनम शर्मा पत्नी विनीत कुमार निवासी पारिजात इनक्लेव निकट सिवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट वृन्दावन योजना थाना पी0जी0आई0 लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि वादिनी के मकान में फर्नीचर एवं प्लम्बरिंग का कार्य चल रहा है। दिनांक 06/10/2024 को वादिनी के मकान में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नल में लगने वाली कीमती टोटियां तथा 06 अदद मोबाइल फोन और नकद रु0 तथा सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सामान अज्ञात द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। यह घटना सुबह हम लोगों को पता चली। मोबाइल फोन में सीसीटीवी फुटेज देखी तो घटना का समय करीब 04.00 बजे सुबह का है, जिसमें 2-3 लड़के घर से सामान चोरी करते हुए जाते दिखाई दे रहे थे, तथ्य अंकित है। **वादिनी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0- 698/2024 अन्तर्गत धारा- 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**